न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 40/2024

1 महावीर पुत्र झुंथा उम्र 65 साल निवासी ढाणी ढहरवाला तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 दलजीत सिंह दतक पुत्र बंशीराम निवासी ढाणी ढहरवाला तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी

2 जयदयाल पुत्र झुंथा निवासी ढाणी ढहरवाला तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

3 मनोज पुत्र रामवतार उर्फ रामोतार निवासी ढाणी ढहरवाला तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

4 कृष्ण पुत्र रामवतार उर्फ रामोतार निवासी ढाणी ढहरवाला तन सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

5 अनिता देवी पुत्री रामवतार उर्फ रामोतार पत्नी नरेन्द्र सिंह हाल निवासी ढाणी रड़िया की तहसील पाटन जिला नीमकाथाना राज.।

6 सुनिता देवी पुत्री रामवतार उर्फ रामोतार पत्नी विनोद हाल निवासी ढाणी रड़िया की तहसील पाटन जिला नीमकाथाना राज.।

7 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक

8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

रेस्पोडेन्ट्स/अप्रार्थीगण 2 लगायत 8

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांकित 05.02.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा उनवानी दलजीत सिंह बनाम महावीर वगै. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.नं. 195/2023 जी.सी.एम.एस नम्बर 2023/492

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 195/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम सिहोड़, तहसील खेतड़ी के खसरा नम्बर 1370, 1447/1370 में आने जाने के लिये आम रास्ता मेहाड़ा से नीमकाथाना के पश्चिम दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 1367 की उतरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांकित 05.02.2024 के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप में विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जांच रिपोर्ट चाही गई थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली में भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके जायन्दा पिता ने पूर्व में हाल खसरा नम्बर 893 व 1368 मौजा सिहोड़ के खातेदार काश्तकार के विरूद्ध रास्ते बाबत न्यायालय तहसीलदार साहब खेतड़ी के यहां एक प्रकरण संख्या 13/98 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उनवानी दयानन्द अहीर सिहोड़ बनाम नाथाराम अहीर सिहोड़ चला था। उस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जायन्दा पिता ने खसरा नम्बर 1370, 1447/1370 मौजा सिहोड़ में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 1368, 893, 1369 में से कदीमी रास्ता बताया था। जो न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी की अदालत द्वारा दिनांक 14.07.1998 को निर्णित किया गया व खसरा नम्बर 1368, 1369 व 893 में रास्ता खुलवाया गया था। इससे साबित होता कि खेत खसरा नम्बर 1370, 1447/1370 मौजा सिहोड़ में आने जाने के लिये प्रचलित रास्ता है और उक्त प्रचलित रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने खेतों में आता जाता है। कानून से वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने की सुरत में खातेदार सुविधा की दृष्टि से अन्य कोई रास्ता क्लेम नहीं कर सकता। विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को नजर अंदाज कर बिना किसी आधार के मनमर्जी से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों के मुताबिक आवेदन किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट मंगवाई है। धारा 251 ए के प्रावधानों के मुताबिक भू–अभिलेख निरीक्षक मौका रिपोर्ट के लिए सक्षम है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर आपत्ति खारिज करते हुए विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.10.2023 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक त्यौंदा में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 1370 ग्राम सिहोड़ में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 1367 ग्राम सिहोड़ में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 376 वर्गमीटर बनता है। प्रस्तावित रास्ते में उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 1367 में से 376 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु निर्वापित होनी है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1370 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधी निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में आवेदक द्वारा धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों के मुताबिक आवेदन किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना में मौका रिपोर्ट मंगवाई है। धारा 251 ए के प्रावधानों के मुताबिक भू–अभिलेख निरीक्षक मौका रिपोर्ट के लिए सक्षम है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर आपत्ति खारिज करते हुए विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। तहसीलदार खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.10.2023 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक त्यौंदा में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 1370 ग्राम सिहोड़ में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 1367 ग्राम सिहोड़ में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 376 वर्गमीटर बनता है। प्रस्तावित रास्ते में उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 1367 में से 376 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु निर्वापित होनी है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1370 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों की पूर्ति करता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधी निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर